

# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, रायपुर

क्र.एस.आर.ए./458  
प्रति,

दिनांक 11.10.2012

सचिव,  
परिवहन विभाग,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
पंडरी बस स्टैंड, रायपुर

विषय:- निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 03/2011 की कंडिका क्र.01 बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 1601/1249/आठ-परि/2012, रायपुर दिनांक 6/9/2012.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के 2010-11 के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रं. 01 जो कि "स्कूल बस के शैक्षणिक संस्था द्वारा स्वामित्व न होने पर भी रियायती दर से करारोपण के फलस्वरूप हानि" से संबन्धित है, उक्त कंडिका विभाग द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में विलोपित किया जाता है।

हस्ता- / सही-अस्पष्ट  
वरि.उपमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
राजस्व क्षेत्र

// कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर //

पंडरी बस स्टैंड परिसर रायपुर

5649  
पृष्ठा.क्रमांक/आडिट/वि.लो./2012/

23/10/2012  
रायपुर, दिनांक 10.2012

प्रतिलिपि:-

समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी छ0ग0 राज्य की ओर सूचनार्थ, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा विभागीय कार्यवाही के पालन में उक्त विलोपन की कार्यवाही की गई है, अतः भविष्य में उन्ही बसों को स्कूल बस की श्रेणी में रखा जावेगा जो विधिवत् रूप से पंजीकृत लीज पर होगी, इस संबंध का परिपत्र पूर्व में आप सबको जारी किया गया है, अतएव तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ एम.एस. तोमर)  
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त

छत्तीसगढ़  
11/10/2012